

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 144 OF 2019

IN THE MATTER OF:

Arvind Baniyal.

.....Applicant

Versus

State of Uttarakhand.

... Respondent

**REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT BY CHIEF SECRETARY, STATE OF
UTTARAKHAND ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE
OF ORDER DATED 9.3.2021 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE
ABOVEMENTIONED MATTER**

P A P E R - B O O K
I N D E X

<u>Srl</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand in the abovementioned matter	1-11
2.	<u>ANNEXURE-1</u> : A true copy of the order dt.9.3.2021 passed by this Hon'ble Tribunal.	12-16
3.	<u>ANNEXURE-2</u> : A true copy of the letter No.88/UCP/09/160/2020/FC/2576 dt.31.3.2021	17-18
4.	<u>ANNEXURE-3</u> : A true photocopy of No. 356, dt.18.3.2021	19-28
5.	<u>ANNEXURE-4</u> : A true photocopy of letter No.893/PS-CS/2021 dt.12.1.2021	29
6.	<u>ANNEXURE-5</u> : A true photocopy of letter No.1/18/2015-SBM dt.16.2.2021	30
7.	<u>ANNEXURE-6</u> : A true photocopy of letter dt. 23.11.2020	31-32
8.	<u>ANNEXURE-7</u> : A true photocopy of DPR dt. 29.10.2020	33-36

Filed by:




[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand /
Respondent

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091

Mobile No. 9717706032

Email- advrahulverma9999@gmail.com



IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 144 OF 2019

IN THE MATTER OF:

Arvind Baniyal.Applicant


Versus

State of Uttarakhand. ... Respondent

REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT BY CHIEF SECRETARY,
STATE OF UTTARAKHAND, ON BEHALF OF STATE OF
UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 9.3.2021
PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE
ABOVEMENTIONED MATTER

I, Om Prakash S/o Late Shri Anil Prasad aged about 59 years,
presently posted as Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand,
Dehradun, Uttarakhand , do hereby solemnly affirm on oath and
state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted
with the facts and circumstances of the present matter, and I am
fully competent to file present Report by way of Affidavit on
behalf of State of Uttarakhand.



2. That the abovementioned matter had been filed by the applicant regarding the environment issue in Kotdwar, District Pauri Garhwal, Uttarakhand. This Hon'ble Tribunal vide its order dated 9.3.2021 was pleased to pass the following orders,, which provides as follows:-

“

5. From the above, it is seen that excuse of moving Central Government appears to be to delay the compliance of statutory Rules of 2016, laying down steps and timelines for action to be taken by the State. This course is against repeated observations of the Hon'ble Supreme Court that clean environment being basic right of citizens, plea of non availability of funds cannot be an excuse. This position has been made clear in the orders of this Tribunal in the presence of Chief Secretary of the State. Thus, in view of repeated failures of the State, a case is made out for taking coercive action against the Senior Officers, including the Secretary, Urban Development, for violation of statutory rules, which is a punishable criminal offence and also to require payment of compensation for continuing damage to the environment, with direction to recover from the erring officers. However, by way of last opportunity, we direct the Chief Secretary, Uttarakhand to take remedial action and file his own affidavit within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.



Dr. R.K. GARG

3

List for further consideration on 13.04.2021.

A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, Uttarakhand by e-mail for compliance.”

A copy of order dt.9.3.2021 is annexed hereto and marked as Annexure-1.

3. That before stating the detailed progress report, various important updates regarding the present matter are stated herein below for kind perusal of this Hon'ble Tribunal as follows:

I. That Forest land in Kanchanpuri Haldukhata having area 0.998 hectares for implementation of processing and disposal plant has been in principle approved by the Ministry of Environment & Forest, Government of India vide letter **No.88/UCP/09/160/2020/FC/2576 dt.31.3.2021**. A true copy of said letter dt.31.3.2021 is annexed hereto and marked as Annexure-2.

II. That as per recommendations of 15th Finance Commission a sum of Rs.310.88 Lakhs are released to Nagar Nigam, Kotdwar, District Pauri Garhwal, Uttarakhand vide **GO No. 356, dt.18.3.2021**, A true copy of same is annexed hereto



[Handwritten signature]

and marked as Annexure-3.

- III. That the Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand sent the request letter vide **DO Letter No.893/PS-CS/2021 dt.12.1.2021** to the Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, for approval of DPRs and financial assistance for Roorkee, Rishikesh and Kotdwar. A true copy of the same is annexed hereto and marked as Annexure-4.

And in response /reply to the request letter of the Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand, Mr. Durga Shankar Mishra, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India vide **DO letter No.1/18/2015-SBM dt.16.2.2021 issued by Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India** has agreed to the request of Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand and stated that "The option and diversion of the requisite funds from other sources has been agreed for the three SWM Projects in the Ganga towns of Rishikesh, Roorkee and Kotdwar. A true copy of the same is annexed hereto and marked as Annexure-5.

- IV. That on 23.11.2020 fresh proposals of SWM were sent by State Govt. to the Government of India for approval and financial assistance of Rs.4.79 Crores as Central Government Share. A true copy of the same is annexed



Chin

5

hereto and marked as Annexure-6.

V. That on 29.10.2020, the State Govt. prepared a DPR for various clusters for the purpose of Solid Waste Management, and accordingly DPR of Rs.13.69 Crores **was prepared and already approved by the State Govt. on 29.10.2020**. A true copy of the same is annexed hereto and marked as Annexure-7.

VI. That there are total 40 wards in Kotdwar, in which door to door collection of garbage is 100% in execution in all the 40 wards.

VII. That the legacy waste on the site in question is again got quantified scientifically, the total quantity is assessed at 20,533.57 Cu.m, and as on 26.3.2021 total 3,000 Cu.m. of legacy waste has been removed and processed, and with the present treating capacity, all efforts are being made by the State to completely remove the legacy waste from the site in question within 6 months time, in all proximity.

4. That the subject-wise remedial action report is being furnished in tabular form, as follows:

Sr. No.	Subject	Compliance/ Status as on 01.04.2021.
1.	<u>Legacy Waste:</u>	<u>Progress for Removal of Legacy</u>



Am

	<p>The issue for consideration is the remedial action against waste disposal dump yards illegally set up on the bank of River Khoh at Village Ratanpur, Kashirampur, Gadighat and near Sports Stadium, Kotdwar in Uttarakhand where garbage was being burnt and river water was polluted:</p>	<p><u>Waste in Kotdwar:</u></p> <p>That the legacy waste on the site in question is quantified scientifically. The total quantity is 20533.57 Cu.m, and till 26.3.2021 total 3000 Cu.m. of legacy waste has been removed and processed, and with present treating capacity all efforts are being made by the State to completely remove the legacy waste from the site in question within 6 months time in proximity.</p>
2.	<p><u>To stop Burning of Old Waste:</u></p>	<p>It is respectfully submitted that a separate water pressure pipe line of 1 inch and two water tanks of 5000 litre each have been installed to avoid burning of waste.</p>
3.	<p><u>Status of Solid Waste Management Rules, 2016</u></p>	<p>(i) It is respectfully submitted that there are total 40 wards in Kotdwar wherein door to door collection is being done in all 40</p>



Dr.

		<p>wards.</p> <p>(ii) It is further submitted that in all 40 wards source segregation has been started.</p> <p>(iii) It is respectfully submitted that identification and procurement Process and Disposal site in Kanchan Puri Haldukhata forest land, on an area of 0.399 Hectare, has been approved by the Forest Department, Government of India vide letter No.88/UCP/09/160/2020/FC/25 76 dt.31.3.2021.</p>
4.	<p><u>Status of integrated SWM DPR approval and disbursement of funds</u></p>	<p>(i) It is respectfully submitted that DPR of Rs.13.69 Crore is prepared and approved by the State Government on 29.10.2020.</p> <p>(ii) It is further submitted that above DPR was sent by the State Government to the Government of India on 23.11.2020 for approval and financial assistance of Rs.4.79 Crore as Central Share.</p>



Am

		<p>(iii) It is further submitted that a separate request DO Letter No.893/PS-CS/2021 dated 12.1.2021 was sent to the Secretary, Ministry of Housing and Urban Development, Government of India for approval of DPRs and financial assistance for Roorkee, Rishikesh and Kotdwar.</p> <p>(iv) It is further submitted that subsequently consent to increase the allocation for DPRs of Roorkee, Rishikesh and Kotdwar was sent vide DO letter No.1/18/2015-SBM dt.16.2.2021 issued by Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.</p> <p>(v) It is further submitted that as per the recommendations of 15th Finance Commission, Rs.310.88 Lacs released to Nagar Nigam, Kotdwar vide GO No.961, dt.11.11.2020 and</p>
--	--	---



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a horizontal line.

		<p>Rs.310.88 Lacs released to Nagar Nigam, Kotdwar vide GO No. 356, dt.18.3.2021, i.e. total of 621.76 Lacs and 50% of the above grant i.e. Rs.310.88 Lacs is earmarked for only Solid Waste Management purpose. Accordingly letter No.06/748/SBM/SWM/NGT/2019-20 dt.1.4.2021 has been issued to Nagar Nigam, Kotdwar for compliance.</p> <p>(vi) It is further submitted that forest land has been in principal approved on 31.3.2021, therefore now as per the statutory provision, "Environmental Clearance" process has been initiated and thereafter the implementation of "Processing and Disposal Plant" shall be initiated, at its earliest.</p>
--	--	--

5. That the present Report by way of Affidavit in compliance of direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed on behalf



Am

of State of Uttarakhand for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

6. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the State of Uttarakhand in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent is sincerely getting the directions complied with and hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

Mr. Prakash
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Dr.



11

Verified by me at Dehradun, Uttarakhand on this 8th day of April, 2021.

Anurag

DEPONENT

Filed through:

Rahul Verma

[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondent

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091

Mobile No. 9717706032

Email- advrahulverma9999@gmail.com

Am

Signed, Sworn & verified before me
by Shri/Smt. *Anurag* Chief Secretary
who is identified by Shri *Ram Prasad V.P.D.*

R. K. Gang
Dr. R. K. GANG, Advocate
Oath Commissioner, D.D. Ben

8-4-2021



12
ANNEXURE - 1

Item No. 04

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 144/2019

(With report dated 08.01.2021)

Arvind Baniyal

Applicant

Versus

State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 09.03.2021

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. Rahul Verma, AAG, State of Uttarakhand
Mr. Mukesh Verma, Advocate for UEPPCB

ORDER

1. The issue for consideration is the remedial action against waste disposal dump yards illegally set up on the bank of River Khoh at Village Ratanpur, Kashirampur, Gadighat and near Sports Stadium, Kotdwar in Uttarakhand where garbage was being burnt and river water was polluted.

2. The matter was considered on 18.03.2020 in the light of earlier proceedings and direction of the Hon'ble Supreme Court requiring compliance of statutory Rules for Solid Waste Management Rules, 2016. The order of the Hon'ble Supreme Court was followed by orders of this Tribunal, after the transfer of the matter to this Tribunal. It was concluded in the last order:-

"13. Thus, monetary cost of every legacy dump site is expected to be huge depending upon the location, quantity of waste and area



covered. **Needless to say that there is huge cost for non-compliance of other provisions relating to waste management – Solid as well as Liquid.** Loss to the environment and public health is taking place not only on account of delay in clearing legacy waste but also for not complying with other provisions of the Rules resulting in huge gap in generation and processing of waste. It may be necessary to determine such cost for delay in clearing legacy waste at every dump site as well as for delay in complying with other rules and failure to treat sewage and recover the same from the persons responsible for action in the matter.

14. In view of the above, let meaningful action be now taken expeditiously. **The quantum of waste lying on sites in question be ascertained and the same may be disposed of as per statutory rules. Burning of the garbage be stopped.** A report be filed before the next date by email at judicial-ngt@gov.in, failing which this Tribunal will have no other option except to direct coercive measures, including imprisonment and stopping of salary of errant officers including the Secretary, Urban Development, Uttarakhand.
15. A copy of this order be sent to the Secretary, Urban Development, Uttarakhand by email for compliance.

List for further consideration on 22.05.2020.”

3. The matter was last considered on 28.07.2020 as follows:-

“3. In view of the above, a report has been filed on 21.05.2020 on behalf of the State of Uttarakhand stating that some interim measures have been adopted and further action is in progress.

4. **We do not find the progress to be adequate in terms of the timelines laid down under the statutory Rules. The damage to the environment is continuing, which is a criminal offence. The liability of the State to take steps is no way different from law and order in view of potential of threat to human life and public health.**

5. **While we grant adjournment, it is made clear that if there is no further progress, the State may be liable to pay damages for the inaction, apart from liability to prosecution of the officers responsible for failure.** Let status of further progress in the matter be brought on record before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.”

4. In pursuance of the above, further report has been filed on 08.01.2021 mentioning the compliance status as follows:



14

"As per Order Dt 28-7-2020 of Hon'ble NGT w.r.t. to Compliance Report of Legacy Waste and Solid Waste Management in Kotdwar, Uttarakhand"

Sr. No.	Subject	Compliance/ Status Report, Nagar Nigam, Kotdwar(Pauri)
1.	<p>Legacy Waste: The issue for consideration is the remedial action against waste disposal dump yards illegally set up on the bank of River Khoh at Village Ratanpur, Kashirampur, Gadighat and near Sports Stadium, Kotdwar in Uttarakhand where garbage was being burnt and river water was polluted.</p>	<p>Progress for Removal of Legacy Waste in Kotdwar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- As immediate measure, Bio Remediation machine has been installed at the Legacy Waste site for segregation and disposal. Till date about 200 Metric Ton of legacy waste has been disposed. 2- The capacity of above machine is about 30 Metric Ton per day. 3- To expedite the process of disposal of legacy waste, another machine with additional capacity of Trommel of 60 Metric Ton per day has been installed. Therefore at present the installed capacity is about 90 Metric Ton per day. 4- As per the report of Nagar Nigam, Kotdwar (Letter No. 1932/ Sva.Anu./ NGT/2020-21, Dt 7-1-2021) Annexure-1, to complete the work in less time and for increasing the rate of disposal of legacy waste, a separate proposal has been prepared and it has been submitted to State Pollution Control Board for the financial assistance of Rs. 50.00 Lacs. <p>To Stop Burning of Old Waste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- A separate water pressure pipe line of 1 inch and two water tanks of 5000 Its each has been installed to void burning of waste.
2.	<p>Status/ compliance of Solid Waste Management Rules 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- In Kotdwar out of 40 wards, door to door collection is being done in all 40 wards. 2- In 31 wards source segregation has been started. 3- For scientific disposal of Solid Waste at decentralized level, making 4-5 wards in a group,



		<p>land has been identified at Gram Gandariyakhhal 0.097 Hect, Gram Ramdayalpur 0.239 Hect, Gram Uttarighandi Chor 0.227 Hect and 0.644 Hect and land has been transferred to Nagar Nigam, Kotdwar by District Magistrate, Pauri.</p> <p>8- For Integrated Solid Waste Management another land of area 02 Hect. has been identified in Mauza Jaydevpur, Khata No. 34, Category — 5(3)-Da/ Anya Agricultural Barren Land. Proposal is in process of approval at SIDCUL (State Industrial Development Corporation Ltd, Uttarakhand) and Government Level.</p> <p>Status of Integrated SWM DPR:</p> <p>1- DPR of Rs. 13.69 Cr prepared and approved by State Government on 29-10-2020 Annexure-2.</p> <p>2- The above DPR was sent to Govt of India on 23-11-2020 Annexure-3 for approval and financial assistance of Rs. 4.79 Cr as Central Share.</p> <p>3- Govt of India vide Letter Dt 2-12-2020, Annexure-4, has informed that it would not be possible to release funds as per the allocation of funds for SWM projects under Swachh Bharat Mission.</p> <p>4- As per orders of Hon'ble NGT Dt 28-7-2020, detailed directions were issued to all the ULBs by Urban Development Directorate Vide Letter No. 1578, Dt 19-8-2020 Annexure-5 and separate direction were issued to Nagar Nigam, Kotdwar and Nagar Palika Parishad, Digadda Vide Letter Dt 27-11-2020 Annexure-6, Dt 2-11-2020 Annexure-7.</p>
--	--	--



5. From the above, it is seen that excuse of moving Central Government appears to be to delay the compliance of statutory Rules of 2016, laying down steps and timelines for action to be taken by the State. This course is against repeated observations of the Hon'ble Supreme Court that clean environment being basic right of citizens, plea of non availability of funds cannot be an excuse. This position has been made clear in the orders of this Tribunal in the presence of Chief Secretary of the State. Thus, in view of repeated failures of the State, a case is made out for taking coercive action against the Senior Officers, including the Secretary, Urban Development, for violation of statutory rules, which is a punishable criminal offence and also to require payment of compensation for continuing damage to the environment, with direction to recover from the erring officers. However, by way of last opportunity, we direct the Chief Secretary, Uttarakhand to take remedial action and file his own affidavit within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 13.04.2021.

A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, Uttarakhand by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.K. Singh, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

March 09, 2021
Original Application No. 144/2019
SN

✓
1/TRUE COPY



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



17
ANNEX. 2
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू0सी0पी0/09/160/2020/एफ.सी. | 2576

दिनांक: 21/03/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-558/2015 कोटद्वार नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.998 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1811/x-3-20/2(52)/2020 दिनांक 08.12.2020 महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Others/15440/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।


प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार- जनपद-पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-558/2015 कोटद्वार नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.998 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर पालिका परिषद्, कोटद्वार को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1996 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.996 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.998 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।



8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,


(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
4. आदेश पत्रावली।



(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

19

ANNEXURE-3

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-1

::देहरादून:: दिनांक: 18 मार्च, 2021

विषय:-

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं-F-15(3) FC-xv/FCD/ 2020-25, दिनांक: 10.03.2021 के कम में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्ड सहित) को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु कुल ₹69,50,00,000.00 (रुजहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि संबंधित निकायों को आवंटित करने के लिए आपके निवर्तन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-

उपर्युक्त धनराशि निम्न प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन संबंधित निकायों को आवंटित की जा रही है।

- (1) वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 381/06/ (वि.आ.नि.दे.) / xxviii(1)/ 2020, दिनांक: 26.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी बोर्डों के बीच अनुदान की धनराशि का पारस्परिक वितरण किया गया है।
- (2) निर्दिष्ट अनुदान की धनराशि सशर्त अवमुक्त की जा रही है। अतः समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा धनराशि के उपयोग के संबंध में आयोग की संस्तुतियों एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत निकायों को आवंटित अनुदान की धनराशि 50 प्रतिशत (क) पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चकण सहित) तथा 50 प्रतिशत (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निर्धारित किया जायेगा। यदि किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया हो, तो इन निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के लिये किया जा सकता है।
- (4) निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई धनराशि कोषागार से आहरित करने के उपरान्त संलग्न विवरणानुसार समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) एवं छावनी बोर्डों को तत्काल हस्तान्तरित किया जायेगा।
- (5) अवमुक्त की जा रही धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने की तिथि दिनांक: 10.03.2021 से 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित निकायों को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति में ब्याज सहित धनराशि का भुगतान संबंधित निकायों को सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिये निदेशक, शहरी विकास विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी स्तर पर विलम्ब के लिए संबंधित अधिकारी/ विभाग उत्तरदायी होगा।
- (6) स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के संबंध में शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा।
- (7) अवमुक्त धनराशि के संबंध में शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित एनेक्सर-III पर (समस्त शहरी स्थानीय निकाय एवं छावनी बोर्ड सहित) वांछित सूचना विभागीय सचिव से हस्ताक्षर कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित निकाय के मुख्य नगर अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी तथा छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक: 31.05.2021 तक प्राप्त हो जाने चाहिए। निकायों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत धनराशि का पूर्ण सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किन्हीं कारणों से निर्धारित अवधि तक धनराशि का उपयोग नहीं हो पाता है, तो उपयोगिता अवधि के संबंध में निकायों द्वारा पूर्ण औचित्य के



साथ स्पष्ट प्रस्ताव निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से सीधे वित्त विभाग को प्रेषित किये जायेंगे।

- (9) अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। शहरी विकास विभाग द्वारा समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
- (11) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के तीनों स्तरों के निर्धारित पारस्परिक अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे गम्भीर विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उक्तानुसार ही उच्चीकृत निकायों (पूर्व पूल में) को धनराशि आवंटित की जा रही है।
- (12) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर "15वाँ वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य", निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।
- (13) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या: 07 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा:-

क्र. सं.	मानक मद का विवरण	निकाय का नाम	निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि (ह0रु0 में)	अलोटमेन्ट आई.डी.नं.
1-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-01-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान-69-समनुदेशन	नगर निगम	322913	
2-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-03-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान-69-समनुदेशन	नगर पालिका परिषद	267412	
3-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त मूल अनुदान-69-समनुदेशन	नगर पंचायत	80072	
4-	लेखाशीर्षक: 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-200-अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-13-केन्द्रीय वित्त आयोग से केन्टोमेंट बोर्ड हेतु प्राप्त अनुदान-69-समनुदेशन	छावनी बोर्ड	24603	
योग			695000	

(14) अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।



संख्या: // 03 (वि.आ.निदे.) / xxvii(1)/ 2021, तददिनांकित।

21

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साईबज ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. संबंधित मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. संबंधित मुख्य नगर अधिकारी / अधिशासी अधिकारी (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) उत्तराखण्ड।
12. संबंधित मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।

1. TRUB COPY



15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों (छावनी बोर्डों सम्मिलित) को वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

22

क.सं.	जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	(धनराशि हजार ₹ में)
1	2	3	4	5
1-नगर निगम:-				
1-	देहरादून	1	देहरादून	115875
		2	ऋषिकेश (उच्चिकृत)	23666
2-	हरिद्वार	3	हरिद्वार	30483
		4	रुड़की	26113
3-	नैनीताल	5	हल्द्वानी	36899
4-	रुधमसिंह नगर	6	काशीपुर	29183
		7	रुद्रपुर	29606
5-	पौड़ी गढ़वाल	8	कोटद्वार (उच्चिकृत)	31088
योग (1) नगर निगम				322913
2-नगर पालिका परिषद				
1-	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	8553
		2	रानीखेत	2157
2-	बागेश्वर	3	बागेश्वर	6206
3-	चमोली	4	गोपेश्वर	5634
		5	जोशीमठ	8386
		6	गोधर	2506
		7	कर्णप्रयाग	2738
4-	चम्पावत	8	चम्पावत	3519
		9	टनकपुर	4397
5-	देहरादून	10	मसूरी	12547
		11	विकासनगर	5649
		12	डोईवाला (उच्चिकृत)	14543
		13	हरबर्टपुर (उच्चिकृत)	2559
6-	हरिद्वार	14	मंगलौर	11185
		15	लक्सर (उच्चिकृत)	5835
		16	शिवालिक नगर	8152
7-	नैनीताल	17	नैनीताल	9280
		18	रामनगर	10937
		19	भवाली	2471
8-	पौड़ी गढ़वाल	20	दुगड़डा	2157
		21	पौड़ी	9289
		22	श्रीनगर	7843
9-	पिथौरागढ़	23	पिथौरागढ़	13458
		24	धारचूला	2311
		25	डीडीहाट (उच्चिकृत)	2088
10-	रुद्रप्रयाग	26	रुद्रप्रयाग	2981
11-	टिहरी	27	नरेन्द्रनगर	3018
		28	मुनिकीरेती-ढालवाला	7683



23

आयुक्त अनुदान के अन्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2020-21 की
द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त
धनराशि

1	2	3	4	5
		29	टिहरी	8502
		30	चम्बा (उच्चीकृत)	2555
		31	देवप्रयाग (उच्चीकृत)	1635
12-	ऊधम सिंह नगर	32	बाजपुर	7307
		33	गदरपुर	5202
		34	जसपुर	12024
		35	खटीमा	12794
		36	किच्छा	17488
		37	सितारगंज	6443
		38	महुआखेड़ा गंज (उच्चीकृत)	3390
13-	उत्तरकाशी	39	उत्तरकाशी	6752
		40	बड़कोट	2812
		41	चिन्यालीसौंड	2426
योग (2) नगर पालिका परिषद:-				267412
3-नगर पंचायत:-				
1-	अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	1314
		2	भिक्यासैण (नव गठित)	1231
		3	चौखुटिया (नव गठित)	1467
2-	बागेश्वर	4	कपकोट (नव गठित)	1635
3-	चमोली	5	नन्दप्रयाग	1388
		6	गैरसैण (नव गठित)	2515
		7	पोखरी (नव गठित)	1929
		8	थराली (नव गठित)	1475
		9	पीपल कोटी (नव गठित)	1701
4-	चम्पावत	10	लोहाघाट	2077
		11	बनबसा (नव गठित)	1443
5-	हरिद्वार	12	झबरेड़ा	2631
		13	लण्डौरा	4014
		14	भगवानपुर (नव गठित)	3827
		15	पीरान कलियर (नव गठित)	4329
6-	पौड़ी गढ़वाल	16	जौक (स्वर्गाश्रम) (नव गठित)	1796
		17	सतपुली (नव गठित)	1257
7-	पिथौरागढ़	18	गंगोलीहाट (नव गठित)	2106
		19	बेरीनाग (नव गठित)	2255
8-	रुद्रप्रयाग	20	अगरस्तमुनी (नव गठित)	1620
		21	ऊखीमठ (नव गठित)	1475
		22	तिलवाड़ा (नव गठित)	1295
9-	टिहरी गढ़वाल	23	कीर्तिनगर	1314
		24	घनसाली (नव गठित)	1803
		25	लम्बगोव (नव गठित)	1230
		26	चमियाला (नव गठित)	1321
		27	गजा (नव गठित)	1230
10-	नैनीताल	28	कालादूंगी	1794
		29	लालकुआ	1993
		30	भीमताल	4847
11-	ऊधमसिंह नगर	31	दिनेशपुर	2994
		32	केलाखेड़ा	2746



1	2	3	4	5
		33	महुआडाबरा हरिपुरा	1903
		34	शक्तिगढ़	1893
		35	सुल्तानपुर	2471
		36	नानकमत्ता (नव गठित)	2322
		37	गुलरभोज (नव गठित)	1661
12-	उत्तरकाशी	38	पुरोला (नव गठित)	2148
		39	नौगाँव (नव गठित)	1622
योग (3) नगर पंचायत:-				80072
4- छावनी बोर्ड :-				
1-	अल्मोड़ा	1	अल्मोड़ा	434
		2	रानीखेत	3673
2-	देहरादून	3	चकराता	995
		4	क्लेमेन्ट टाउन	4391
		5	देहरादून	10253
		6	लेन्डोर	689
3-	पौड़ी	7	लैसडाउन	1102
4-	नैनीताल	8	नैनीताल	274
5-	हरिद्वार	9	रुड़की	2792
योग (4) छावनी बोर्ड				24603
महायोग (1+2+3+4)				695000

(रु.उनहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र)

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।



आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21030070199
आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती
राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा
समनुदेशन
200-????? ????? ??????????
??? ??????????
01-नगर निगमों हेतु केन्द्रीय वित्त
आयोग से प्राप्त मूल अनुदान
(3604011910103 से स्थानांतरित)

00--

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	1
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
69-समनुदेशन		968739000	322913000	0	1291652000							
योग		968739000	322913000	0	1291652000							

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.32,29,13,000 (Rupees Thirty Two Crores Twenty Nine Lacs Thirteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0009

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


 (भूपेश चन्द्र तिया)
 अपर सचिव,
 वित्त एवं वित्त,
 उत्तराखण्ड शाखा





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021) 26
 HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
 Treasury-Cyber(1200)
 DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21030070200
 आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती
 राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा
 समनुदेशन
 200-????? ????? ?????????????
 ??? ?????????
 03-नगर पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त
 आयोग से प्राप्त मूल अनुदान
 (3604011920103 से स्थानांतरित)

00--

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Voted


मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	802236000	267412000	0	1069648000
योग	802236000	267412000	0	1069648000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.26,74,12,000 (Rupees Twenty Six Crores Seventy Four Lacs Twelve Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0010

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(भूपेश चन्द्र तिव
 अपर सचिव,
 कृषि एवं वि.
 उत्तराखण्ड शा.)





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021) 27
 HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
 Treasury-Cyber(1200)
 DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21030070201
 आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती
 राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा
 समनुदेशन
 200-????? ????? ?????????????
 ??? ?????????
 05-नगर पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त
 आयोग से प्राप्त मूल अनुदान
 (3604011930103 से स्थानांतरित)

00--

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधमित योजना

Voted


3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	5
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
69-समनुदेशन		240216000	80072000	0	320288000							
योग		240216000	80072000	0	320288000							

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.8,00,72,000 (Rupees Eight Crores Seventy Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0011

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


 (भूपेश चन्द्र तिवारी)
 अपर सचिव,
 एवं वित्त,
 उत्तराखण्ड शास.





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021) 28
 HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
 Treasury-Cyber(1200)
 DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H21030070202
 आवंटन पत्र दिनांक-17-MAR-2021

लेखा शीर्षक 3604-स्थानीय निकायों तथा
 पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति
 तथा समनुदेशन
 200-????? ????? ?????????????
 ??? ?????????
 13-केन्द्रीय वित्त आयोग से कॅटोमेंट
 बोर्ड हेतु प्राप्त अनुदान

00--

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

Voted


3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	3
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
69-समनुदेशन		73809000	24603000	0	98412000							
योग		73809000	24603000	0	98412000							

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.2,46,03,000 (Rupees Two Crores Forty Six Lacs Three Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2103:0012

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(भूपेश चन्द्र तिया)
 अपर सचिव,
 उच्च एवं वित्त,
 उत्तराखण्ड शाखा



प्रकाश
Prakash



29

ANNEXURE-4

उत्तराखण्ड शासन
Govt. of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan

सचिवालय
Secretariat

4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100
0135-2712200
(Fax) 0135-2712500
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

D.O. No.: 893 /PS- CS/2021

Dated: 12 January, 2021

Respected Sir,

In Uttarakhand, Swachh Bharat Mission-Urban has achieved many milestones under your valuable guidance and encouraging leadership. As per the mission guidelines all our ULBs are putting their best efforts to achieve 100% targets in all the components. In SWM 100 % Door to Door waste collection of MSW has been achieved and source segregation has also been initiated in 78% of the wards. 80% IHHLs have been completed against the given target and 100% construction has been carried out in Community/Public Toilet segment.

In the SWM component, out of total 91 ULBs, 62 DPRs covering 88 ULBs have already been prepared and approved by the State High Power Committee. These 62 SWM DPRs cost Rs. 332.57 Crores, against which the total admissible VGF (35%) under the SBM scheme amounts to Rs. 89.14 Crores. Since, the total outlay of only Rs. 57.57 Crores has been fixed by MoHUA for Uttarakhand, the state is not able to get sanctions for the SWM projects for the three important clusters of Rishikesh, Roorkee and Kotdwar. Till date against the total allocation of Rs. 57.57 Crores, Rs. 56.51 Crores has been allocated by GoI, with remaining balance of Rs. 1.06 Crores.

These three towns, Rishikesh, Roorkee and Kotdwar, are either Ganga towns or are situated next to major rivers in Uttarakhand, which makes it very important to have a good solid waste management system in these areas. Hon'ble NGT has also raised concerns about it from time to time.

As Rs. 32.63 Crores is necessary to address the concerns about these three important clusters and Rs. 1.06 Crore is still in balance for allocation, it is humbly requested to increase the mission outlay for SWM Projects of Uttarakhand from Rs. 57.57 Crores to Rs. 89.14 Crores this year.

Encl: As above.

with high regards,

Yours Sincerely,

Om Prakash
12.01.21
(Om Prakash)

Shri Durga Shankar Mishra,
Secretary,
Ministry of Housing & Urban Affairs,
Government of India, New Delhi.





शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून-248001

E mail -sbmurbaninfo@gmail.com दूरभाष - 0135-2742885, फ़ैक्स. 0135.-2742885

पत्रांक:- 3162/167/SBM-UC/SUDA/2016-17

देहरादून: दिनांक :- 23-11-2020

सेवा में,

संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अर्न्तगत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 22 निकायों के 09 नवीन प्रस्तावों (Fresh Proposals of SWM WtC Plants) हेतु केन्द्रांश धनराशि (first Installment) उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के कार्यवृत्त संख्या 1384/IV(3)/2020-68(सा0)14, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न)। जिसके एजेण्डा संख्या 02 पर 22 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 09 डी0पी0आर0 (Waste to Compost) पर Technical Appraisal उपरांत राज्य स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया है। 09 डी0पी0आर0 का विवरण निम्न तालिकानुसार प्रस्तुत है :-

(रु0 लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, GoI द्वारा देय धनराशि	4 th SFC/ ULB से देय धनराशि
1	ऋषिकेश क्लस्टर (ऋषिकेश, डोईवाला, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम जॉक, नरेन्द्रनगर)	235564	99.58	3324.19	1163.47	2160.72
2	कोटद्वार	135600	47.00	1369.95	479.48	890.47
3	पुरोला	7931	2.90	161.90	56.67	105.23
4	बागेश्वर	28910	8.93	300.72	105.25	195.47
5	काशीपुर क्लस्टर (काशीपुर, जसपुर, महुआडाबरा)	233668	84.77	1429.89	500.46	929.43
6	पीपलकोटी	3521	1.33	143.37	50.18	93.19
7	बेरीनाग	7641	2.80	141.48	49.52	91.96
8	दिनेशपुर, गुलरभोज	18300	8.93	395.46	138.41	257.05
9	रुड़की क्लस्टर (रुड़की, झबरेड़ा, मंगलोर, लण्ढौरा, भगवानपुर, पीरान कलियर, लक्सर)	304418	225.36	4627.41	1619.59	3007.82
कुल योग		975553	481.60	11894.37	4163.03	7731.34

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तालिकानुसार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में उक्त 09 नवीन प्रस्तावों (Fresh Proposals of SWM WtC Plants) हेतु कुल रू0 4163.03 लाख (रूपये इकतालीस करोड़ तिरसठ लाख तीन हजार मात्र) की प्रथम किश्त (first Installment) राज्य को अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय



(विनोद कुमार सुमन)

o/c निदेशक/मिशन निदेशक, SBM

संख्या एवं दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि:- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



o/c निदेशक/मिशन निदेशक, SBM


smm

आज प्राप्त
दिनांक 18/11/2020
प्राप्तकर्ता
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

“स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)” के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 अपराह्न 2.15 बजे का कार्यवृत्त :-

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री शैलेश बगौली, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री डी0आर0 जोशी, अपर निदेशक, स्वजल परियोजना।
5. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. श्री रवि शंकर बिष्ट, राज्य मिशन मैनेजर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम बैठक में सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव एवं राज्य उच्च स्तरीय समिति के अन्य सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया तथा एजेण्डावार बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

एजेण्डा संख्या 01- विगत बैठक दिनांक 28.07.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

- 1- समिति को अवगत कराया गया कि टोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पूर्व में स्वीकृत 68 निकायों की समस्त 53 डी0पी0आर0 भारत सरकार द्वारा भी स्वीकृत कर दी गयी हैं तथा धनराशि राज्य को अन्तरित की जा चुकी है।
- 2- समिति को टोस अपशिष्ट प्रबन्धन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त निकायों एवं छावनी परिषदों के कुल 1190 वार्डों के सापेक्ष 1190 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 926 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुल उत्पादित कूड़े (1639 MTPD) के सापेक्ष 926 MTPD कूड़े का प्रसंस्करण भी निकायों द्वारा किया जा रहा है।

समिति द्वारा उक्त पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी तथा निर्देशित किया गया कि डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण एवं सोर्स सेग्रीगेशन से वार्ड स्तर पर प्रत्येक घर एवं दुकान को आच्छादित किया जाये।

(कार्यवाही- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून)

एजेण्डा संख्या 02- टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत निर्मित DPR पर अनुमोदन।

- 1- समिति को अवगत कराया गया कि टोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु तैयार 22 नगर निकायों की 09 डी0पी0आर0 का **Technical Appraisal Committee** से अनुमोदन कराया जा चुका है तथा समिति द्वारा बताये गये सुझाव समिलित करते हुए डी0पी0आर0 को निदेशालय के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अंतिम कर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के दिशा-निर्देशानुसार राज्य उच्च स्तरीय समिति से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा उक्त 22 निकायों की 09 डी0पी0आर0 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी तथा

(2)

समिति द्वारा उक्त 22 नगर निकायों की 09 डी0पी0आर0 पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के उपरान्त निम्न प्रकार अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, GoI द्वारा देय धनराशि	4 th SFC/ ULB से देय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	ऋषिकेश क्लस्टर (ऋषिकेश, डोईवाला, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम जॉक, नरेन्द्रनगर)	235564	99.58	3324.19	1163.47	2160.72
2	कोटद्वार	135600	47.00	1369.95	479.48	890.47
3	पुरोला	7931	2.90	161.90	56.67	105.23
4	बागेश्वर	28910	8.93	300.72	105.25	195.47
5	काशीपुर क्लस्टर (काशीपुर, जसपुर, महुआडाबरा)	233668	84.77	1429.89	500.46	929.43
6	पीपलकोटी	3521	1.33	143.37	50.18	93.19
7	बेरीनाग	7641	2.80	141.48	49.52	91.96
8	दिनेशपुर, गुलरभोज	18300	8.93	395.46	138.41	257.05
9	रूड़की क्लस्टर (रूड़की, झबरेड़ा, मंगलोर, लण्ढौरा, भगवानपुर, पीरान कलियर, लक्सर)	304418	225.36	4627.41	1619.59	3007.82
कुल योग		975553	481.60	11894.37	4163.03	7731.34

(कार्यवाही -निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)

एजेण्डा संख्या 03- टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की संशोधित डी0पी0आर0 पर अनुमोदन।

समिति को अवगत कराया गया कि टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2019 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-939/IV(3)/2019-68 (सा0) 2014, दिनांक 13 मई, 2019 के द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की रू0 669.71 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने संबंधी पत्र निर्गत किया गया। तदोपरान्त राज्य उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2019 के एजेण्डा संख्या- 2 में टिहरी चम्बा क्लस्टर के विवरण को उत्तराखण्ड शासन के

.....3

(3)

पत्र संख्या-1168/IV(3)/2019-68 (सा0) 14, दिनांक 10 जून, 2019 के द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	जनसंख्या	Waste Generation (MTPD)	DPR मूल्य	SBM, GoI द्वारा देय धनराशि	SFC से देय धनराशि
4	टिहरी-चम्बा क्लस्टर	34471	09	582.94	204.03	378.91

- उत्तराखण्ड शासन स्तर पर गठित व्यय वित्त समिति (EFC) द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत रू0 582.94 लाख में से रू0 9.70 लाख की कटौती उपरान्त रू0 573.24 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु संस्तुत की गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1168, दिनांक 10 जून, 2019 द्वारा टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रू0 573.24 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृति की गयी है।
- उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त टिहरी-चम्बा क्लस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की रू0 573.24 लाख की संशोधित डी0पी0आर0 पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना हेतु संस्तुत कुल लागत रू0 573.24 लाख के अनुसार ही केन्द्रांश की द्वितीय किस्त जारी/निर्गत करते समय देय अतिरिक्त केन्द्रांश की धनराशि समायोजित किये जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया जायेगा।

(कार्यवाही - निदेशक, शहरी विकास निदेशालय)

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संबंधी कार्य दिसम्बर, 2020 तक सभी निकायों द्वारा प्रारम्भ कर दिये जाये। उक्त के साथ ही उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।


(शैलेश बगौली)
सचिव।

.....4

(4)

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3
संख्या-138/IV(3)/2020-68(सा0)14
देहरादून: ०९ नवम्बर, 2020।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव/राष्ट्रीय मिशन पर्यवेक्षक, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव-मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Anil Joshi
(अनिल जोशी)
उप सचिव।
et